श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

नई दिल्ली-११००१६

स्मरण पत्र

अति आवश्यक एवं

समयबद्ध

क्रमांक:- एफ3/ल.ब.शा./2020-21/329

दिनांक :- 16.07.2021

कार्यालय सूचना

राष्ट्रीय शिक्षानीति २०२० के अनुपालन में नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डलों की बैठक आयोजित करने के सन्दर्भ में।

क्रमांक:- एफ3/ल.ब.शा./2020-21/145 दिनांक :- 07.06.2021 के अनुसार सभी पीठम् प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों को सूचित किया गया था कि दिनांक 06.11.2020 को आयोजित विद्या परिषद् की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित भारतीय ज्ञान परम्परा के मूल सिद्धान्तों से छात्रों को अवगत कराने तथा अन्त: शास्त्रीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर उनमें आवश्यक संशोधन/नवीनीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर की उपाधि चार वर्ष की अवधि की होगी । इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प के साथ पसंदीदा विकल्प होगें ।**

विद्यापरिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन में सभी पीठ-प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया था कि वह वे अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम को विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार संलग्न-पाठ्यक्रम मानक प्रारूप के अनुसार तैयार करे जिसमें इकाई, विषय, अंक, क्रेडिट को पृथक-पृथक दर्शाया जाए।

प्राय: यह पाया गया है कि निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम शैक्षणिक विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। कार्य की महत्त्वता को देखते हुए सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पुन: अनुरोध है कि वह

यथाशीघ्र अपने विभाग के अध्ययनमण्डल की बैठक आयोजित करवाकर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. वास्तुशास्त्र
2. ज्योतिष
3. मीमांसा
4. पौरोहित्य
5. सर्वदर्शन
6. प्राकृत
7. साहित्य
8. पुराणेतिहास

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त पीठम् प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
2. विशेषाधिकारी (परीक्षा)
3. उपकुलसचिव (परीक्षा/शैक्षणिक)
4. निजी सचिव कुलपति एवं कुलसचिव
5. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. सम्बन्धित पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)